

१९ JUL 2011

सेवा में*

सभी जिला पदाधिकारी

५००३३
१४८०

लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में।

इस कार्यालय का ज्ञापांक—378 दिनांक—14.06.11

प्रसंगः—

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के क्रम में कहना है कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन दिनांक 15 अगस्त, 2011 से प्रारम्भ होने वाला है। इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी कार्यालयों में आधारभूत संरचना एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति समय से पूर्व करा ली जाए।

2. उपरोक्त प्रासंगिक पत्र द्वारा एवं दिनांक 06.07.2011 को आयोजित Video Conferencing में इस संबंध में विस्तृत रूप में कार्रवाई के बिन्दुओं को स्पष्ट किया जा चुका है।

3. Software का पायलेट बेसिस पर परिचालन 22 अगस्त, 2011 से चरणबद्ध रूप से प्रखण्ड—सह—अंचल एवं अन्य कार्यालयों में प्रारम्भ किया जाना है। इस संबंध में कार्यालयों में निम्नरूपेण संरचना, सामग्री एवं कर्मी की व्यवस्था सुनिश्चित किया जायः—

- (i) आवेदनों की प्राप्ति हेतु काउंटरों का निर्माण।
- (ii) प्रत्येक काउंटर पर एक Computer Operator एवं एक जानकार कर्मी की प्रतिनियुक्ति, जो आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की जाँच करने में कुशल हो।
- (iii) प्रत्येक काउंटर हेतु Computer, Printer, कागज, स्टेपलर, स्केल अलग—अलग सेवाओं के आवेदन रखने हेतु अलग—अलग Tray, Computer के परिचालन हेतु विद्युत आपूर्ति यथा विद्युत सॉकेट, Wiring, Genset आदि की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है।
- (iv) आवेदक से आवेदन प्राप्त करने के बाद सॉफ्टवेअर के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा दो प्रति में पावती निर्गत की जायेगी। पावती की मूल प्रति स्केल द्वारा फारकर आवेदक को दे दी जायेगी एवं कार्यालय प्रति स्टेपलर द्वारा आवेदन के ऊपर स्टैपल कर दिया जायेगा। प्रतिदिन कार्यावधि के समाप्ति के उपरान्त कम्प्यूटर द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों की विवरणी के साथ एक समेकित सूची दो प्रति में Software के माध्यम से निकाला



जायेगा, जिसकी एक प्रति प्राप्त आवेदन के साथ अग्रसारण पत्र के रूप में लगाकर संबंधित दिनचर्या लिपिक को हस्तगत करा दिया जायेगा एवं उसकी दूसरी प्रति पर, आवेदन प्राप्त करने वाले लिपिक का हस्ताक्षर पाप्त कर इसे काउंटर पर स्थित रक्षी संचिका में प्रतिदिन चिपका दिया जायेगा।

इस हेतु सभी कार्यालयों में काउंटर पर प्राप्त आवेदनों को कार्यालय में रिसिव करने के लिए लिपिक को चिन्हित करने की आवश्यकता होगी एवं लिपिक द्वारा प्रदत्त आवेदनों की पावती को प्रतिदिन संधारित करने हेतु काउंटर पर एक रक्षी संचिका के संधारण की आवश्यकता होगी।

- (v) काउंटर हेतु Sign Board एवं प्रदत्त की जा रही सेवाओं के संबंध में विस्तृत विवरणी की सूचना पट्ट भी प्रदर्शित किया जाना इस अधिनियम के प्रावधान के तहत अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उक्त का अनुपालन सभी कार्यालयों में कराते हुए दिनांक-22.07.11 से Software को पायलेट बेसिस पर परिचालित कराने की कृपा की जाय एवं इसके व्ययहारिक उपयोग के बाद सॉफ्टवेयर में यदि किसी सुधार की आवश्यकता प्रतीत हो तो तत्क्षण इससे अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

Rajendra
(डा० बी० राजेन्द्र)
अपर मिशन निदेशक

ज्ञापांक ७४५ /स्था० दिनांक ५६।।

प्राप्तिविधि:- पुर्विक अधीक्षक, अशेषगा/उप तिकार अमुक्त, अररिङा/मुख्य कार्यपालक, पठान्धिकारी, जिला परिषद्, अररिङा/उत्तर समाहित, अररिङा/अनुमंडल पठान्धिकारी, अररिङा/फारमिस्टाज/उपमुक्त (ताजिजग्जर) कार्यपालक/जिला कल्याण पट्टा, अररिङा/जिला आष्ट्र्हित पट्टा, अररिङा/जिला भू-अधिकारी, अररिङा/जिला क्रिहा पठान्धिकारी, अररिङा/कार्यपालक पठान्धिकारी पट्टा, अररिङा/जिला क्रिहा पठान्धिकारी, अररिङा/फारमिस्टाज/नगर पंचायत, जोगली/। जिला नगर परिषद्, अररिङा/फारमिस्टाज/उमाहित उमारी, जिला लालानग पशाला, परिषद् पट्टा, अररिङा/उप समाहित उमारी, जिला सामाजिक उर्जा कोषांग, अररिङा/अररिङा/सहागल प्रिवेशन जिला, सामाजिक उर्जा कोषांग, अररिङा/समी जिला, समी पठ्ठ विधि पट्टा अररिङा जिला/समी जिला, समी पठ्ठ विधि पट्टा अररिङा/अररिङा/जिला, इगनार्थ एवं आवश्यक काग्रान उमिन अनुमित्य अंगजाधिकारी अररिङा को इगनार्थ एवं आवश्यक काग्रान उमिन अनुमित्य डूँडि उत्तरकार्यालय से अंगजिला पट्टा, पाहोदग को अपग्रेड कराने की कृपा की जाय।

र.४
जिला स्थाना, उप समाहित, अररिङा।